

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना—15, दिनांक : 15 सितम्बर, 2017

संख्या—1/पी०—1001/2016—सा०प्र०—11982/श्री के०के० पाठक, भा०प्र०से०(90),
प्रधान सचिव—सह—खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/अपर विभागीय जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना) अगले आदेश तक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

१५ - ९ - १७

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—1/पी०—1001/2016 —सा०प्र०— 11982/पटना—15, दिनांक: 15 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा— आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली /मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित सभी विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू—संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—01 एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१५ - ९ - १७

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।